

पत्रांक-13/प 3-33/92 1175
बिहार सरकार
शैक्षिक, प्राथमिक एवं कक्षा शिक्षा विभाग

प्रेषण:

शुभार गौरी हंजल मिश्रा,
विशेष निदेशक (माउन्ट),
सेंट्राल कक्षा शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना ।

दिनांक,

प्रति,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ शैक्षिक एजुकेशन,
शिक्षा क्षेत्र- 2 कम्युनिटी सेंटर,
प्रति-बिहार, विज्ञान मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 25.8.92

विषय:-

निजी विद्यालयों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ शैक्षिक एजुकेशन, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार

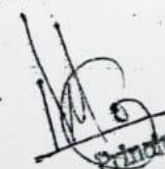
सरकार शैक्षिक, प्राथमिक एवं कक्षा शिक्षा विभाग, बिहार को निर्माणित विद्यालयों को सेंट्रल
बोर्ड ऑफ शैक्षिक एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा मान्यता देने में कोई आपत्ति नहीं है :-

क्रमांक

विद्यालय का नाम

1. दिल्ली गैंगेज हाई स्कूल स्-40, सचिवालय वॉलेनी, कंकड़बग, पटना
2. एसटीडी सेमिनार हाई स्कूल, न्यू एरिया, कदमकुआँ, पटना
3. सरस्वती विद्यामंदिर, धुर्वा, राँची
4. ज्योति पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा
5. गालिज विद्या मंदिर, हरिया, धनबाद
6. श्रीरामजी पब्लिक स्कूल, मरहवा, धनबाद
7. गंगा प्रसाद बुद्धिमा सरस्वती विद्या मंदिर, भौरहावादी, राँची
8. मोर्न पब्लिक स्कूल (सिद्धार्थ एजुकेशनल प्रोपर्टी) राजा बाजार, जलनाबाद

पेज- 2


Principal
M. B. D. A. V. Public School
Ichardaga - 835302 (Bihar)

9. स्टेशन इंडिया स्कूल बिजनपुर, मुजफ्फरपुर
10. मे प्रताप स्कूल दिहाघाट, पटना
11. प्रतिभा पल्लवन केंद्रीय विद्यालय (संगठित महिला जलिन के पास) जयनगर
12. एनबीडी डीएसबी पब्लिक स्कूल, तेहरगंगा
13. देवरांधा नेशनल स्कूल, देवधारा
14. महेन्द्र मुनी साखती शिशु विद्या मन्दिर, भुवपुर
15. इफिलियन पब्लिक स्कूल गहाला गाँधी हेतु पथ, पाकवान चौक, राजीपुर

एनबीडी डीएसबी विद्यालय के प्राचार्य से दी जा रही है।
यह आदेश 1-9-98 से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन
रु०/-

(कुमार गौरी शंकर सिन्हा)

विशेष निदेशक (मा०शि०)

सो०प्रा०स्व० व० शि० विभाग, बिहार, पटना

आपांक 1195 /पटना, दिनांक 20/9/98

प्रतिलिपि क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक (संबंधित)/ जिला शिक्षा पदाधिकारी (संबंधित) एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं अवगत करवाई प्रेषित।

2. विद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सुपवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम एक बार विद्यार्थी का निरीक्षण किया जायगा।

(कुमार गौरी शंकर सिन्हा)

विशेष निदेशक (मा०शि०)

सो०प्रा०स्व० वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आपांक 1195

पटना, दिनांक 20/9/98

प्रतिलिपि मंत्री, सो०प्रा० स्व० वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार के अप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(कुमार गौरी शंकर सिन्हा)

विशेष निदेशक (मा०शि०)

सो०प्रा०स्व० वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।